

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/ ५४८०

जबलपुर, दिनांक २५/०७/२०२४

श्री जे. अंजनेलू कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 22.06.2024 से बिना सूचना अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण वेतन भुगतान आगामी आदेश तक वेतन भुगतान रोके जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।


सही/-
(दीपक बंसल)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/ ५४८१/

जबलपुर, दिनांक २५/०७/२०२४

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक / सेवापुस्तिका / अवकाश / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री जे. अंजनेलू कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(दीपक बंसल)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)